

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री राजेश कुमार पिता- स्व. महावीर साव, ग्राम: कुंडी, देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) , ग्राम: आरा एवं चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुंडी, देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला : चतरा (झारखण्ड), थाना सं. 27 एवं 28, ग्राम: आरा एवं चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 55 एवं 56 (रेयती भूमि) खाता सं. 25, 9, 7, 18, 61 एवं 80 के अधीन प्लॉट सं. 116, 117, 190, 192, 9(P), 12, 15, 72, 22, 111, 144, 191, 194, 197, 18, 210 एवं 1366 कुल रकबा - 02.0050 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: कुंडी, देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) , ग्राम: आरा एवं चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुंडी, देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला : चतरा (झारखण्ड), थाना सं: 27 एवं 28, ग्राम: आरा एवं चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 55 एवं 56 (रेयती भूमि) खाता सं. 25, 9, 7, 18, 61 एवं 80 के अधीन प्लॉट सं. 116, 117, 190, 192, 9(P), 12, 15, 72, 22, 111, 144, 191, 194, 197, 18, 210 एवं 1366 कुल रकबा - 02.0050 एकड़ भूमि के तहत श्री राजेश कुमार पिता- स्व. महावीर साव, ग्राम: कुंडी, देवलगड़ा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) , ग्राम: आरा एवं चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

120/117/15
08/04/22